दिनांक 14.05.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उपसमिति–I की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिनांक 31.03.2018 तक 49000 करोड़ रूपये Annual Credit Plan लक्ष्य के विरूद्ध 42160 करोड़ रूपये की उपलब्धि हुई है जो लक्ष्य का 86.4% है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 31.03.2018 तक 15 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 5.29 लाख नए के० सी० सी० आवेदन वितरित होने की सूचना दी। Farm Credit अन्तर्गत 93.77%, कृषि Infrastructure अन्तर्गत उपलब्धि 19.69%, Agri Term Loan अन्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 10.8% तथा Ancillary Activities अन्तर्गत 71.68% उपलब्धी लक्ष्य के विरूद्ध होने की सूचना दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा नए के० सी० सी० आवेदनों की कम स्वीकृति होने तथा कृषि प्रक्षेत्रों में कम ऋण वितरण होने पर खेद व्यक्त किया गया। साथ हीं स्थिति में सुधार लाने हेतु उपस्थित बैंक अधिकारियों को निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)
3. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा गत एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति –I की बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई। कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग(Custom Hiring) में बैंक से ऋण स्वीकृति में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर खेद व्यक्त किया गया।

   संयुक्त निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत 71 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें कम्बाइन हार्वेस्टर यंत्र पर बैंक लोन अनिवार्य है। शेष यंत्रों पर ऋण प्राप्ति हेतु राज्य के कृषक स्वतंत्र हैं। बैठक में किसानों से प्राप्त आवेदन पर ससमय ऋण स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया ताकि अधिकाधिक लाभ किसानों को मिल सके।

   भारत सरकार द्वारा संचालित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख, 25.00 लाख एवं 40.00 लाख तक की लागत से कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक तथा 80.00 लाख रूपये की लागत वाले दो हाईटेक हब की स्थापना किया जाना है। उक्त सभी कृषि यंत्र बैंक/हाईटेक हब की स्थापना पर 40% अनुदान का प्रावधान है। इसके आलावा चयनित ग्रामों में 10.00 लाख रूपये तक की लागत से कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जानी है जिसमें 80% अनुदान का प्रावधान है।

   कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक जीविका के ग्राम संगठन/आत्मा से सम्बद्ध फारमर्स इंटरेस्ट ग्रुप (F.I.G.)/नबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध किसान क्लब/स्वयं सहायता समूह(SHG)/पैक्स/व्यापार मंडल/कृषि यंत्र निर्माता/उद्यमी द्वारा विहित प्रपत्र में जिला कृषि पदाधिकारी को आवेदन दिया जाना है।

   यंत्र बैंक में यंत्रों के अधिप्राप्ति हेतु 40% राशि सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 60% राशि आवेदक समूह/निर्माता/उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त योजना का लाभ प्रगतिशील कृषक भी प्राप्त कर सकते हैं।

   कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना/कस्टम हायरिंग अन्तर्गत जिलों में ऋण की स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदनों की जिलावार/बैंकवार सूची प्राप्त कर एस० एल० बी० सी० को ईमेल slbc.bihar@sbi.co.in पर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई–संयुक्त निदेशक, अभियंत्रण, बिहार, पटना)
4. कृषकों के Joint Liability Groups(JLG) के अन्तर्गत 100000 लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या 23322 है जो लक्ष्य का 23.32% है। प्रगति असंतोषजनक रहने पर खेद व्यक्त किया गया।

5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में 10 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान मद में नबार्ड को उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी ली गई। नबार्ड के प्रतिनिध द्वारा वर्ष 2016–17 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंका का 2.67 करोड़ रूपया का तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 27.53 लाख रूपया का दावा(Claim) प्राप्त होने की सूचना दी गई। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा अप्रील माह में बैंक का अंकेक्षण(Audit) हो जाने के उपरान्त मई माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।

(कार्रवाई – नबार्ड, पटना)

6. कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान देय है। अतः राज्य सरकार द्वारा देय 1% ब्याज अनुदान की राशि को इसमें शामिल कर कृषकों को ब्याज अनुदान का भुगतान होना चाहिए। स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया। बैंक प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेश(Guide line) के अनुसार भारत सरकार द्वारा देय 3% ब्याज अनुदान का दावे(claims) व्यवसायिक बैंकों को प्राप्त हो जाता है, जबकि नबार्ड से राज्य सरकार की 1% ब्याज अनुदान की राशि प्राप्त होने की प्रक्रिया अलग है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग किसान/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक का अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाता है। समय पर ब्याज अनुदान की राशि कृषकों के खाते में उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित बैंक पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई – एस० एल० बी० सी०, पटना
मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड पटना)

7. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की राशि समय पर कृषकों के खाते में उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें हानि होती है तथा उन्हें अधिक सूद का भुगतान करना पड़ता है। नबार्ड को व्यवसायिक बैंकों के साथ MOU करने का सुझाव दिया गया ताकि बैंक को defaulter होने की स्थिति में सम्बन्धित बैंक अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाई– मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड पटना)

8. कृषि विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुदान की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से कृषकों के खाते में उपलब्ध कराने में बैंकों द्वारा विलम्ब किया जाता है। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक, सासाराम(मुख्य शाखा) से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट में लाभान्वितों का नाम खाता संख्या के साथ नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किस लाभार्थी को अनुदान राशि का भुगतान हुआ तथा किस लाभार्थी को अनुदान भुगतान नहीं हुआ। अनुदान राशि खाते में अप्राप्त होने का आवेदन देकर किसानों द्वारा जिला कृषि कार्यालय में आक्रोश व्यक्त किया जाता है। अतः जिला स्तर पर बैंकों द्वारा RTGS/NEFT से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेंट लाभार्थी का नाम/खाता संख्या एवं राशि के साथ सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई– एस० एल० बी० सी०, पटना)

9. संयुक्त निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि इलाहाबाद बैंक, जहानाबाद द्वारा अनुदान की राशि कृषकों के खाते में RTGS करने में विलम्ब किया जा रहा है। राशि को RTGS करने में कितना विलम्ब हुआ है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु संयुक्त